

**Ministry of Home Affairs-Major Achievements, significant Development and important events for the month of May, 2019.**

The President of India gave assent to 7 State Bills namely, The Tamil Nadu Forest (Amendment) Bill, 2017; The Criminal Law (Tripura Amendment) Bill, 2018; The Andhra Pradesh Maritime Board Bill, 2018; The Code of Criminal Procedure (Andhra Pradesh Amendment) Bill, 2018; The Rajasthan Apartment Ownership Bill, 2015; The Bengal, Agra and Assam Civil Courts (Jharkhand Amendment) Bill, 2018 and The Dowry Prohibition (Bihar Amendment) (Repeal) Bill, 2018.

2. Union Home Secretary held a meeting of the Development Investment Board on 6.5.2019 for appraisal of the Project regarding creation of IT Automation of Foreigner Tribunal (FTs) by developing e-FT application for detection, detention and deportation of illegal migrants.
3. Union Home Secretary wrote to the Chief Secretaries of Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha and Telangana to set up a formal arrangement to enquire into the incidents resulting in security forces/political casualties that occur due to avoidable oversight.
4. Approval for setting up 400 additional Foreigners Tribunals in Assam was granted to Government of Assam on 13.5.2019.
5. The Consultant Group (CG) meeting of Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) of the 6th Session of the Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2019 was held in Geneva on 14.05.2019. In the meeting, India has been unanimously chosen to co-chair Consultative Group (CG) of Global Facility of Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) for fiscal year 2020.
6. Jamaat-ul-Mujhahideen Bangladesh or Jamaat-ul-Mujhahideen India or Jamaat-ul-Mujhahideen Hindustan and all its manifestations' have been listed as terrorist organization involved in terrorism, in the First Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967
7. Sanction for prosecution for filling the charge sheet against 12 accused persons was accorded under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 for terrorist and anti-national activities.
8. The adjudication report of the UAPA Tribunal regarding declaration of NLFT and ATTF and Metei Organizations of Manipur as Unlawful Association has been published in the Gazette of India.

9. A meeting was held on 30.5.2019 with officers of Nehru Yuva Kendra Sangathan and CAPFs to discuss the proposal for 12th Tribal Youth Exchange Program (TYEP) under Media Plan scheme.

10. 04 Advisories were issued to the State Government/ CAPFs to sensitize them on activities of Left Wing Extremists in the LWE affected areas.

11. During the month, Narcotics Control Bureau seized large quantities of heroin, ganja, opium, cocaine and other narcotics and arrested 91 persons including 7 foreign nationals in connection with drugs trafficking.

12. An amount of Rs 765.29 crore has been sanctioned for development of infrastructure to the CAPFs.

13. Sanctions have been issued for creation of 5524 posts in CISF during the month.

14. A total of 233.38 km of Indo Nepal Border Roads were completed till the end of May, 2019.

15. Devi Ahilya Bai Holkar Airport, Indore has been notified as an authorized Immigration Check Post.(ICP) on 27.5.2019.

16. In pursuance of Supreme Court's Order dated 14.03.2019, I held a meeting on 16.05.2019 with the Chief Secretaries of Bihar and Jharkhand to discuss the issues of apportionment of pension liabilities between the two States.

\*\*\*\*

मई, 2019 माह में गृह मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां, महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम

भारत के राष्ट्रपति महोदय ने 7 राज्य विधेयकों अर्थात तमिलनाडु वन (संशोधन) विधेयक, 2017; दण्ड विधि (त्रिपुरा संशोधन) विधेयक, 2018; आंध्र प्रदेश समुद्री बोर्ड विधेयक, 2018; दण्ड प्रक्रिया संहिता (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2018; राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015; बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2018 तथा दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2018 को सहमति प्रदान की।

2. केन्द्रीय गृह सचिव ने अवैध प्रवासियों का पता लगाने, उन्हें निरुद्ध तथा प्रत्यावर्तित करने के लिए ई-एफटी एप्लीकेशन विकसित करके विदेशी विषयक ट्रिब्यूनल के आई टी ऑटोमेशन के सृजन के संबंध में परियोजना के मूल्यांकन हेतु दिनांक 06.05.2019 को विकास निवेश बोर्ड की बैठक आयोजित की।

3. केन्द्रीय गृह सचिव ने आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना के मुख्य सचिवों को लिखा कि वे उन घटनाओं, जिनके परिणामस्वरूप सुरक्षा बल/राजनैतिक व्यक्ति परिहार्य चूक के कारण हताहत हुए, की जांच करने के लिए एक औपचारिक व्यवस्था स्थापित करें।

4. असम में 400 अतिरिक्त विदेशी विषयक ट्रिब्यूनल स्थापित करने हेतु दिनांक 13.05.2019 को असम सरकार को अनुमोदन प्रदान किया गया।

5. ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (जीपीडीआरआर) 2019 के छठे सत्र के ग्लोबल फैसिलिटी फॉर डिजास्टर रिडक्शन एंड रिकवरी (जीएफडीआरआर) की कसल्टेंट ग्रुप (सीजी) की बैठक दिनांक 14.05.2019 को जिनेवा में आयोजित की गई। बैठक में, भारत को वित्तीय वर्ष 2020 के लिए ग्लोबल फैसिलिटी फॉर डिजास्टर रिडक्शन एंड रिकवरी (जीएफडीआरआर) की कसल्टेंट ग्रुप (सीजी) की सह-अध्यक्षता करने के लिए एकमत से चुना गया है।

6. जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश या जमात-उल-मुजाहिदीन इंडिया या जमात-उल-मुजाहिदीन हिन्दुस्तान और इसके सभी स्वरूपों को आतंकवाद में संलिप्त आतंकवादी संगठन के रूप में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है।

7. आतंकवादी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए 12 अभियुक्तों के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत आरोप पत्र दाखिल करने हेतु अभियोजन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।

8. मणिपुर के एनएलएफटी तथा एटीटीएफ और मैतेई संगठनों को विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषित किए जाने संबंधी यूएपीए ट्रिब्यूनल की न्याय-निर्णयन रिपोर्ट भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई है।
9. मीडिया प्लान स्कीम के अंतर्गत 12वें ट्राइबल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम (टीवाईईपी) के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए नेहरू युवा केन्द्र संगठन और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारियों के साथ दिनांक 30.05.2019 को एक बैठक आयोजित की गई।
10. वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवादियों की गतिविधियों के बारे में राज्य सरकार/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को संवेदनशील बनाने के लिए 04 परामर्शी-पत्र जारी किए गए।
11. इस माह के दौरान, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने बड़ी मात्रा में हेरोइन, गांजा, अफीम, कोकीन और अन्य स्वापक पदार्थों को जब्त किया तथा औषध (ड्रग) दुर्व्यापार के सिलसिले में 7 विदेशी राष्ट्रियों सहित 91 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।
12. अवसंरचना के विकास के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 765.29 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।
13. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में 5524 पदों के सृजन के लिए इस माह के दौरान स्वीकृतियां जारी की गई हैं।
14. कुल 233.38 किलोमीटर भारत-नेपाल सीमा सड़कों का निर्माण कार्य मई, 2019 के अंत तक पूरा किया गया।
15. देवी अहिल्या बाई होल्कर एयरपोर्ट, इंदौर को दिनांक 27.05.2019 को एक प्राधिकृत आप्रवासन जांच चौकी (आईसीपी) के रूप में अधिसूचित किया गया है।
16. माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 14.03.2019 के आदेश के अनुसरण में, बिहार और झारखंड के बीच पेंशन संबंधी देनदारियों के विभाजन के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए गृह मंत्री ने बिहार और झारखंड के मुख्य सचिवों के साथ दिनांक 16.05.2019 को बैठक की।

\*\*\*\*